458

संख्या- 6 /X-2-2014-12(19)/2012

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 22 मार्च, 2014

विषयः- **वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के आयोजनेत्तर पक्ष की "वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति" योजना में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून का शासन को सम्बोधित पत्र सं0 नि-1287/3-2 (आयोजनेत्तर-व0पर्या0 स0स0) दि0 10 फरवरी, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-27 में वन विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष की **"वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति"** योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष **₹ 5,55,000/-(₹ पांच लाख पचपन हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश सं0-413/XXVII(1)/2013 दिनांक 10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
3. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
5. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय।
6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
7. मानक मदों के आहरण प्रणाली के समबन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दि0 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

क्रमशः.....2

9. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति में अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आंवटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

10. व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस समबन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।

12. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

14. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1403270350 है आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे.

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 001-निदेशन तथा प्रशासन 04-00-वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति में निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा । इस प्रयोजन हेतु Online Bugdet Allotment की हार्ड कापी भी संलग्न की जा रही है।

(धनराशि ₹ हजार में)

मानक मद	आय-व्ययक प्राविधान 2013-14	निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति
04-यात्रा व्यय	1	0
07-मानदेय	200	0
08-कार्यालय व्यय	60	60
09-विद्युत देय	1	0
10-जलकर/जल प्रभार	1	0
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	20	20
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25	25
15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	200	200
16- व्यवसायिक सेवा तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1	0
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	200	200
22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	50	50
योग-	**759**	**555**

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ पांच लाख पचपन हजार मात्र)

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश सं0-413/XXVII(1)/2013 दि0 10 जून, 2013 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

संलग्नक-यथोपरि।

क्रमशः....3

835

संख्या- /X-2-2014, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

(मनीज चन्द्रन)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

835

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **/X-2-2014-12(19)/2012**

अलोटमेंट आई डी - **S1403270350**

अनुदान संख्या - **027**

आवंटन पत्र दिनांक -21-Mar-2014

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन

001 - निदेशन तथा प्रशासन

00 - वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति

01 - वानिकी

04 - वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
08 - कार्यालय व्यय	0	60000	60000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	20000	20000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	25000	25000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	0	200000	200000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	0	200000	200000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	0	50000	50000
	0	**555000**	**555000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 555000